निदेशक आयुर्वेद सेवाएँ उ0प्र0 / निर्वाचन अधिकारी ,आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड चुनाव, 2020
कैम्प कार्यालय–आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड, उ0प्र0
धन्वन्तरि भवन, 7 लालबाग, लखनऊ ।

संख्या 95 / बोर्ड–चुनाव /20 लखनऊ दिनांक :– 12/03/2020

चुनाव विज्ञप्ति

उत्तर प्रदेश शासन, आयुष अनुभाग–1 द्वारा निर्गत अधिसूचना संख्या–1106/ 96–आयुष–1–2020–383/1997 दिनांक 11 मार्च, 2020 के अनुपालन में यू0पी0 इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 (यू0पी0 एक्ट संख्या 10, 1939) के अन्तर्गत आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0 के चुनाव नियमावली के नियम 12 के उपनियम (2) के प्राविधानानुसार उपयुर्क्त एक्ट की धारा 5(1) के खण्ड (4),(5) एवं (6) के अन्तर्गत उ0प्र0 के विश्वविद्यालयों से सम्बद्ध आयुर्वेदिक/यूनानी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों एवं आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0 (पूर्व नाम भारतीय चिकित्सा परिषद उ0प्र0) में पंजीकृत वैद्यों /हकीमों के निर्वाचन क्षेत्र जो कि निम्नवत हैं, के निर्वाचन का कार्यक्रम सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है :–

निर्वाचन क्षेत्र

खण्ड (4) उ0प्र0 के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध आयुर्वेदिक शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों से दो सदस्य ।
खण्ड (5) उ0प्र0 के विश्वविद्यालय से सम्बद्ध यूनानी शिक्षा संस्थाओं के अध्यापकों से एक सदस्य ।
खण्ड (6) **पंजीकृत वैद्यों के लिए (प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक–एक सदस्य)**

1– मेरठ सहित सहारनपुर डिवीजन निर्वाचन क्षेत्र ।
2– आगरा डिवीजन निर्वाचन क्षेत्र ।
3– मुरादाबाद सहित बरेली डिवीजन निर्वाचन क्षेत्र (उत्तराखण्ड क्षेत्र को प्रथक करके)
4– इलाहाबाद सहित झॉसी, चित्रकूट एवं कानपुर डिवीजन निर्वाचन क्षेत्र ।
5– वाराणसी सहित गोरखपुर विन्ध्यांचल, बस्ती, आजमगढ डिवीजन निर्वाचन क्षेत्र ।
6– फैजाबाद सहित लखनऊ एवं देवीपाटन डिवीजन निर्वाचन क्षेत्र ।

पंजीकृत हकीमों के लिए (प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक–एक सदस्य)

1– मेरठ सहित सहारनपुर आगरा डिवीजन निर्वाचन क्षेत्र ।
2– मुरादाबाद सहित बरेली, इलाहाबाद , झॉसी, चित्रकूट एवं कानपुर डिवीजन निर्वाचन क्षेत्र । (उत्तराखण्ड क्षेत्र को प्रथक करके)
3– वाराणसी सहित गोरखपुर विन्ध्यांचल, बस्ती, आजमगढ , फैजाबाद सहित लखनऊ एवं देवीपाटन डिवीजन निर्वाचन क्षेत्र ।

निर्वाचन कार्यक्रम

कम संख्या	विवरण	दिनांक एवं समय
1	नाम निर्देशन करने का दिनांक एवं दिन	16 मार्च, 2020 दिन–सोमवार से 23 मार्च, 2020 दिन सोमवार तक (प्रतिदिन प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक)
2	नाम निर्देशनों की जॉच का दिनांक एवं दिन	24 मार्च, 2020 दिन–मंगलवार (प्रातः 10 बजे से)
3	उम्मीदवारी वापस लेने का अन्तिम दिनांक एवं दिन	27 मार्च 2020 दिन–शुक्रवार तक (प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 03 बजे तक)
4	वह दिनांक एवं दिन ,जिस तक मत देने के पश्चात शलाका पत्र (Ballot paper) निर्वाचन अधिकारी के पास पहुँच जाना चाहिए	09 मई, 2020 दिन–शनिवार (सायं 5 बजे तक)
5	मतगणना का दिनांक एवं दिन तथा स्थान	10 मई, 2020 दिन –रविवार (प्रातः 10 बजे से) निर्वाचन अधिकारी के कैम्प कार्यालय आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0 धन्वन्तरि भवन 7 लालबाग लखनऊ में मतगणना की जायेगी ।

—2

Scanned with CamScanner

सूचनाः–(1) नाम निर्देशन पत्र निर्वाचन अधिकारी के कैम्प कार्यालय आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0 धन्वन्तरि भवन 7 लालबाग लखनऊ में दिनांक 16–03–2020 दिन–सोमवार से प्राप्त किये जा सकते हैं ।

(2)उम्मीदवार नियमानुसार जब तक नाम निर्देशित न समझा जायेगा, जब तक कि वह 50 रूपये की धनराशि जमा न करे अथवा जमा न करवा दे ।

(3)शलाका पत्र (Ballot paper) निर्वाचन अधिकारी के कैम्प कार्यालय, आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0 धन्वन्तरि भवन 7 लालबाग, लखनऊ में दिनांक 09–05–2020 दिन–शनिवार को 5 बजे सायंकाल तक पहुँच जाना चाहिए । इसके पश्चात कोई शलाका पत्र (Ballot paper) स्वीकार नहीं किया जायेगा ।

(4) चुनाव नियमावली के नियम (2) एवं नियम (3) के अधीन तैयार की गई मतदाता सूची का निरीक्षण निर्वाचन अधिकारी के कैम्प कार्यालय आयुर्वेदिक तथा यूनानी तिब्बी चिकित्सा पद्धति बोर्ड उ0प्र0 लखनऊ के कार्यालय में किया जा सकता है एवं उक्त सूची की प्रति रू0 2–00 प्रति पेज की दर से प्राप्त की जा सकेगी । सर्वसाधारण के अवलोकनार्थ मतदाता सूची बोर्ड की वेवसाइट bimup.org के स्तम्भ Board Election पर अपलोड है ।

(5) इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण का ध्यान उत्तर प्रदेश के गजट के असाधारण प्रकाशन दिनांक 10 अक्टूबर 1956 में प्रकाशित उत्तर प्रदेश इण्डियन मेडिसिन एक्ट 1939 (यू0पी0 एक्ट सं0 10, 1939) के चुनाव नियमावली के नियम 13 एवं 14 की ओर भी आकृष्ट किया जाता है ।

आज्ञा से,

(प्रो0एस0एन0सिंह)

निदेशक / निर्वाचन अधिकारी

Scanned with CamScanner